

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (99)ग्राविवि/गुप-5/PMAY-G/S-N/SECC/2017-18

दिनांक 23 मई, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.),
समस्त, राजस्थान।


विषय :- SECC-2011 के डाटा की ग्राम पंचायतवार Remapping के क्रम में।
सन्दर्भ:- विभागीय पत्रांक एफ 27(45)ग्राविवि-5/पीएमएवाई-जी/एम-1/बैठक/
2017-18 जयपुर दिनांक 17.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा माननीय मंत्री ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता तथा संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में दिनांक 15.05.2018 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में SECC Data Remapping के क्रम में वर्तमान में प्रदर्शित राजस्व ग्राम की ग्राम पंचायत एवं जिस ग्राम पंचायत में Data Remap किया जाना है, दोनों ही ग्राम पंचायतों की विशेष ग्राम सभा आयोजित कर Data Remapping के अनुसार अंतिम PWL का अनुमोदन कराकर ग्राम सभा रिजोल्यूशन के साथ प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त की अनुपालना में जारी ग्राम सभाओं की दिनांक, संख्या एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण से शासन को अवगत कराने का श्रम करे। जिससे रिमैपिंग का कार्य पूर्ण करवाया जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. श्री पी.के. मित्तल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. श्री गया प्रसाद, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

